कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

प्रार्थी **सर्वश्री आल इण्डिया मेटल फोरजिंग एसोसियेशन, सी-208, साइट नम्बर-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद ।**

प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक **053 / 13, 24.10.2013**

प्रार्थी की ओर से **श्री मनोज शर्मा, एसोसियेशन के प्रतिनिधि ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री आल इण्डिया मेटल फोरजिंग एसोसियेशन, सी-208, साइट नम्बर-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 24.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' PNG (PIPED NATURAL GAS) '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मनोज शर्मा, एसोसियेशन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि पूर्व में सर्वश्री सेन्ट्रल यू0 पी0 गैस लिमिटेड, VII तल, UPSIDC Comples, A-1 / 4, लखनपुर, कानपुर के मामले में प्रार्थना-पत्र संख्या-04 / 09 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.03.2010 द्वारा तत्कालीन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने PNG (PIPED NATURAL GAS) को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत मानते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की है इसलिए उनके मामले में भी उसी प्रकार करदेयता निर्धारित की जाये ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-1586, दिनांक 08.01.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है एसोसियेशन द्वारा PNG (PIPED NATURAL GAS) पर कर की दर निर्धारित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है । चूँकि सर्वश्री सेन्ट्रल यू0 पी0 गैस लिमिटेड, VII तल, UPSIDC Comples, A-1 / 4, लखनपुर, कानपुर के मामले में इस बिन्दु पर उत्तर दिया जा चुका है पुन: इस पर कोई नया तथ्य न होने के कारण भी आख्या दिये जाने का कोई बिन्दु नहीं है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री आल इण्डिया मेटल फोरजिंग एसोसियेशन एक संगठन है । इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया । पाया गया

.....2

कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो । प्रार्थी सर्वश्री आल इण्डिया मेटल फोरजिंग एसोसियेशन, सी-208, साइट नम्बर-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं । ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं । अत: उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।